रजिस्टर्ड नं० एल० ३८७

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 23 मई, 1973

ज्येष्ठ 2, 1895 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1777/सत्रह-वि-1—164-72

लखनऊ, 23 मई, 1973

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, 1972 पर दिनांक 19 मई, 1973 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1973 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (संपत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, 1973

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1973)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1962 की अवधि को और बढ़ाने के लिये — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1962

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, 1973 कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1962 की धारा 1 की उपधारा (3) में शब्द "दस वर्ष" के स्थान पर शब्द "बारह वर्ष" रख दिए जायं। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1962 की

No. 1777 (2)/XVII-V—1-164-72

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Hindu Sarvajanik Dharmik Sanstha (Sampatti Apvyaya Niwaran) (Asthai Adhikar) (Jari Rakhne Ka) Adhiniyam, 1973 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 1973) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on May 19, 1973 :

THE UTTAR PRADESH HINDU PUBLIC RELIGIOUS INSTITUTIONS (PREVENTION OF DISSIPATION OF PROPERTIES) (TEMPORARY POWERS) (CONTINUANCE) ACT, 1973.

(U. P. Act No. 17 of 1973)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to extend the life of the Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties) (Temporary Powers) Act, 1962. U. P. Act no XXII of 1962.

It is hereby enacted in the Twenty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called the Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties) (Temporary Powers) (Continuance) Act, 1973.

Amendment of section 1 of U. P. Act no. XXII of 1962. 2. In sub-section (3) of section 1 of the Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties) (Temporary Powers) Act, 1962, *for* the words "ten years" the words "twelve years" shall be *substituted.*

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—38 गजट (हि०)—1973—2,019+150 (मे०)